संख्या: 3/2019/373/12-2-2019-60(6)/2017 टी0सी0-12

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 फरवरी, 2019

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0 तथा शिकायत संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 49/2018/3782/12-2-2018-60(6)/2017 टी0सी0 दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0 तथा शिकायत संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राप्त ऑफ लाइन शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त डिमाण्ड जनरेशन की प्रक्रिया एवं अर्ह कृषकों को भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश के बिन्दु-ग को निम्नानुसार संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(ग) कृषि विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर डिमाण्ड जिला स्तर से ही पोर्टल पर जनरेट होगी। धनराशि का वितरण भी जनपद स्तर से होगा।	(ग) कृषि विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर जिला स्तर से डिमाण्ड जनरेट होगी। तदोपरान्त राज्य स्तर पर पूर्व की भाँति कार्यवाही करते हुए डिमाण्ड जनरेट की जायेगी तथा ऋण मोचित की जाने वाली धनराशि राज्य स्तर से ही अर्ह कृषकों के खातों में अन्तरित करने हेतु संबंधित राज्य स्तरीय नोडल बैंकों को भुगतान की जायेगी।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 3/2019/373(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, गोमती नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।